न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10/2021 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्रीमती कडवी पत्नी भेमा (पुत्री अमरिया पिता रूपा), जाति भील, निवासी कोहाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. लक्ष्मण पिता बदा (माता श्रीमती गलबी), जाति भील, निवासी मसोटिया, तहसील व बांसवाड़ा (राज.)
3. भेरा पिता देवा दायमा, जाति भील, निवासी सामागड़ा, तहसील व बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. कमजी पिता चमना, जाति भील, निवासी अगरपुरा हाल सामागडा, तहसील व बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा दिनांक
07.07.2021 प्रकरण संख्या 90/2010

——/——

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री शकील मोहम्मद अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

——::——

निर्णय **दिनांक 25–07–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पैत्रृक कब्जे काश्त की आराजी नंबर 457, 499, 500, 532 व 598 कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि ग्राम सामागढा में स्थित है, जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते हैं। उक्त आराजियात का अभी विभाजन नहीं होने से प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा है। उक्त आराजियात के मूल[illegible] अमरिया जी थे, जिसके पुत्र संतान नहीं होने से अपने भाई गौत्री कुटुम्बी देवा पिता [illegible] ले आये तथा उक्त आराजियात काश्त हेतु दी। उसके बाद अमरिया [illegible] हो जाने पर उसकी पत्नी हेती के नाम भूमि [illegible] हुई, जबकि हेती [illegible] गया, गलबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:00 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं प.रा.अ.
उदयपुर (राज.)

मोती, कडवी (वादी संख्या 1) थी। उक्त आराजियात हेती के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 को आराजी नंबर 457 रकबा 2 बीघा 10 भूमि का विक्रय कर दिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है एवं उक्त विक्रय पत्र नल एण्ड वोईड है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्करकरण संख्या 248 दिनांक 08–02–1983 स्वीकृत करवा लिया, जो शून्य प्रभावी होने से खारिज योग्य है। अतः नामान्तरकरण संख्या 248 दिनांक 08–02–1983 अवैध होने से विवादित आराजी नंबर 457 रकबा 2 बीघा 10 भूमि का वादीगण को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण विवादित आराजियात के खातेदार नहीं है, न ही उनका कब्जा है। आराजी नंबर 457 रकबा 2 बीघा 10 भूमि प्रतिवादी द्वारा इस भूमि के खातेदार हेती पत्नी अमरिया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10–11–1982 से क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कुल 4 तनकियां कायम की तथा अपने निर्णय दिनांक 07–07–2021 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–09–2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शकील मोहम्मद उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्टगण मूलपुरूष अमरिया के वारिस होने से अधिकार है, किन्तु अमरिया के फोत होने पर नामान्तरकरण उसकी पत्नी हेती के नाम स्वीकृत हो जाने से हेती द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जो विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

किया गया है, वह विधि के विपरीत होने से अपीलान्टगण के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आयी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकियात कायम कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श ए–1 जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 में विवादित आराजी नंबर 457 रकबा 2 बीघा 10 मु. हेती बेवा अमरिया के खाते में दर्ज है तथा हेती द्वारा रजिस्टर्ड विकय दिनांक 10–11–1982 को रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जाना प्रस्तुत विकय पत्र से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 07–07–2021 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:00 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**मू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती कडवी पत्नी भेमा (पुत्री अमरिया पिता रूपा), निवासी कोहाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	**कमजी पिता चमना, जाति भील, निवासी अगरपुरा हाल सामागडा तह0 व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.......**10 / 2021**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.....**बांसवाड़ा**........... मुकाम................मुवर्खे.........**07**.............माह..............**07**............**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**25**....माह........**07**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री मुकेश द्विवेदी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री शकील मोहम्मद**
............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 07—07—2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग......X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**25**.......माह.......**07**..........**2024**
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
मू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोट:— इस खर्चे के फार्म पर ... का कुल ... अ... का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:00 IST
Reason: SelfAttested